विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के अलावा दूसरों की सहमति। यह आपत्ति कि वादी ने ऐसी पूर्व व्यवस्था का आरोप नहीं लगाया है या साबित नहीं किया है, भी बिना किसी तथ्य के है। यह देखा जा सकता है कि वादी ने अपने बेटों दलीप सिंह और मल्कियात सिंह के खिलाफ 7 जनवरी, 1957 को रुपये की वसूली के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी। छह महीने के लिए 200 रुपये और 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर कब्जा बनाए रखने का हकदार होने के लिए, जिसमें वह वाद भूमि भी शामिल है, जहां से उसे प्रतिवादियों द्वारा जबरन बेदखल कर दिया गया था।

इसे देखते हुए, उसने डिक्री के रूप में पूर्व व्यवस्था साबित कर दी है, जिसके तहत उसे विशेष कब्जे में रहने की अनुमति दी गई थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी वादी को जबरन गलत तरीकों से बेदखल नहीं कर सकते। हालाँकि, प्रतिवादी, वादी के खिलाफ विभाजन के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं, इसलिए वादी, विभाजन तक अपने कब्जे की रक्षा करने का हकदार था और प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) को उसे जबरन बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं था।

(11) प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) ने वादी को वाद में भूमि से गलत तरीके से बेदखल कर दिया है। वादी को कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और निचली अदालतों के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया जाता है। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

एस.सी.के.

माननीय न्यायमूर्ति जी.सी.मितल, ए.सी.जे. और एच.एस. बेदी, जे. के समक्ष

भारत संघ और अन्य, - याचिकाकर्ता

बनाम

एलटी. कर्नल एस. पी. कपूर- प्रतिवादी

26 जुलाई 1991

सेना अधिनियम, 1950- धारा 191, 192, 193 - सेना विनियम, 1962- नियम 69 -कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल को हटा दिया गया - सेना प्रमुख द्वारा अधिक्रमण के खिलाफ वैधानिक शिकायत को खारिज कर दिया गया - पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर

तीन बार विचार किया गया जिसके बाद उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया - सेना विनियमन 69 पदोन्नति के मामलों की समीक्षा को केवल तीन मौके तक सीमित नहीं करता है - हालाँकि, समीक्षा को तीन मौकों तक सीमित करने के निर्देश- सेना निर्देशों में वैधानिक बल है- उपर्युक्त निर्देश विनियम 69 के विरोधाभासी नहीं है लेकिन इसे इसके पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए - सेना के उच्च क्षेत्रों में पदोन्नति के लिए इस तरह का विचार पर्याप्त और न्यायसंगत है - धारा 192 के तहत बनाए गए विनियम 69 को धारा 193 द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है, सेना द्वारा जारी किए गए वैधानिक निर्देशों पर प्राथमिकता नहीं होगी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होने वाले विनियम पदोन्नति और उसमें उल्लिखित अन्य मामलों को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए व्यापक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। विनियम/ नियम तीन अवसरों में उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित अधिकारी की समीक्षा को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया गया कि समीक्षा को तीन अवसरों तक सीमित करने वाले निर्देश वैधानिक और इसलिए बाध्यकारी बल रखते हैं और उपरोक्त निर्देश विनियमन 69 के विरोधाभासी नहीं हैं, लेकिन इसे इसके पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। हमारा यह भी विचार है कि सेना के उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए तीन विचार न केवल पर्याप्त हैं बल्कि न्यायसंगत भी हैं।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 192 के तहत बनाए गए विनियम धारा 193 द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए गए हैं और, इस प्रकार, उन विनियमों को किसी भी तरह से सेना द्वारा जारी निर्देशों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 10)

माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री के दिनांक 22 मार्च, 1990 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील के खंड X के तहत लेटर्स पेटेंट अपील।

अपीलकर्ता की ओर से हरिंदर सिंह ज्ञानी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री ए. मोहंता, अधिवक्ता।
लेफ्टिनेंट कर्नल एस.पी. कपूर, व्यक्तिगत रूप से।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी, जे.

(1) इस निर्णय के द्वारा, हम एल.पी.ए. 1990 का क्रमांक 900, सी.डब्ल्यू.पी. 1988 के क्रमांक 10133, 1989 के 14714 और 16795 और 1991 के 2044 का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं। तथ्य एल.पी.ए. 1990 का नंबर 900 से लिए गए हैं।

(2) यहां प्रतिवादी लेफ्टिनेंट कर्नल एस.पी. कपूर ने 28 फरवरी, 1983 के आदेश को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका दायर की। याचिका के लिए अनुलग्नक पी-4, द्वारा जिसके द्वारा उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए पदच्युत कर दिया गया था और साथ ही 15 जून, 1987 का आदेश भी दिया गया था, जिसके द्वारा उनके पदावनति के खिलाफ उनके द्वारा दायर की गई वैधानिक शिकायत को सेनाध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(3) प्रतिवादी को भारतीय सेना में नियुक्त किया था और बख्तरबंद कोर में सेवा की थी और याचिका दायर करने के समय, उन्होंने लगभग 30 साल की सेवा पूरी कर ली थी। याचिका में दिए गए कथनों के अनुसार और सेना के लिए विनियम 1962 (इसके बाद विनियम कहा जाएगा) के पैरा 19 के अनुसार उन्हें चयन द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था। हालांकि, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विचार पर उन्हें कर्नल और उसके बाद ब्रिगेडियर बनाया जाना था और इस विचार पर उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। प्रतिवादी का मामला यह है कि उसका नाम विनियमों के पैराग्राफ 69 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए समीक्षा के तहत रखा जाना था। फिर भी ऐसा नहीं किया गया और उनके नाम पर तीन बार विचार किए जाने के बाद, उन्हें आने वाले समय में उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य करार दिया गया। इसके खिलाफ व्यथित होकर, प्रतिवादी ने 22 जुलाई, 1981 को सेना प्रमुख/ केंद्र सरकार को सेना अधिनियम 1950 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 27 के संदर्भ में एक वैधानिक शिकायत प्रस्तुत की, लेकिन इसे बिना कारण दिए खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त तथ्यों पर, प्रतिवादी ने 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 414 दायर की, जिसमें से वर्तमान पत्र पेटेंट अपील उत्पन्न होती है।

(4) वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर लिखित बयान में, यह निम्नानुसार दलील दी गई थी:

"पदोन्नति वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और पाठ्यक्रम प्रोफ़ाइल, रोजगार के लिए सिफारिशें, उसके बैच की योग्यता, सम्मान और पुरस्कार और अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। सेना के लिए विनियम, 1962 के पैरा 69 में कहा गया है कि जिन अधिकारियों को पदोन्नति के लिए हटा दिया गया है, उनके मामले समीक्षाधीन रखा गया है और विचारों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसलिए सेनाध्यक्ष, जिनके पास सेना को कुशलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी है, ने केंद्र सरकार की मंजूरी से

एक निर्णय लिया था कि एक अधिकारी के पदोन्नति के लिए चयन का केवल तीन बार ही विचार किया जाएगा किया जाए। यदि कोई अधिकारी दिए गए तीन अवसरों में चयनित नहीं होता है, तो उसे स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इस नीति का सार्वभौमिक अनुप्रयोग है और एकरूपता से लागू किया गया। याचिकाकर्ता अपवाद और उसका तर्क है कि उक्त नीति अवैध है, सच्चाई और तर्क से रहित है का दावा नहीं कर सकता..... याचिकाकर्ता अपने समग्र प्रदर्शन, सीमित रोजगार योग्यता और अपने बैच की योग्यता के आधार पर कार्यवाहक कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए ग्रेड बनाने में विफल रहा। नीतियों में बदलाव उनके अधिक्रमण के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं..... कोई भी नीति परिवर्तन बड़ी संख्या में अधिकारियों को प्रभावित करता है और नीतियां किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर न तो बनाई जाती हैं और न ही बंद की जाती हैं। कैडर समीक्षा के कारण, यह सच है कि कुछ बदलाव हुए हैं और नई नीतियां अस्तित्व में आई हैं। ये नीतियां सार्वभौमिक रूप से लागू हैं और याचिकाकर्ता अपवाद का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि नीतियां संभावित रूप से लागू होती हैं न कि पूर्वव्यापी रूप से और पिछले मामलों को समग्र रूप से फिर से खोलना न तो प्रशासनिक रूप से संभव है और न ही यह प्रबंधन के हित में है।"

(5) लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर उनके वेतन के गैर- निर्धारण के संबंध में प्रतिवादी की अन्य दलील के जवाब में, यह दलील दी गई कि प्रतिवादी को कार्यवाहक कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए हटा दिया गया था और, इस तरह, इस तथ्य के आधार पर कर्नलों के साथ समीकरण का दावा नहीं किया जा सकता था कि अपग्रेडेशन के कारण कर्नल तब रेजिमेंटों की कमान संभाल रहे थे।

(6) पक्षों के वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि चूंकि प्रतिवादी के पदोन्नति के विचार के मामले को केवल तीन अवसरों तक सीमित किया जाने का कोई वैधानिक या गैर- वैधानिक प्रावधान नहीं था, भारत संघ को पदोन्नति के लिए प्रतिवादी के मामले की आगे समीक्षा करनी चाहिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि मूल्यांकन और पदोन्नति के मानदंड बदल दिए गए हैं, इस बीच, एक और समीक्षा आवश्यक थी। बहस के समय हमारे सामने यह बताया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों के मद्देनजर, प्रतिवादी के मामले की चौथी बार समीक्षा की गई, लेकिन उसे एक बार फिर पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया।

(7) विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के वेतन निर्धारण के दावे को भी स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि उसे चयन ग्रेड प्रदान किया गया है, वह रु. 4,500 प्लस रैंक वेतन के रूप में 800 रुपये के वेतन निर्धारण का हकदार है। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, भारत संघ इस लेटर्स पेटेंट अपील में आया है।

(8) लेफ्टिनेंट कर्नल एस.पी. कपूर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिए गए तर्कों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि विनियम 69 उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों की फिटनेस की समीक्षा को केवल तीन अवसरों तक सीमित नहीं करता है और इस प्रकार, इस आशय के केंद्र सरकार के निर्देश, वास्तव में, विनियमों के दायरे से परे हैं।

(9) उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह मानते हुए भी कि सरकारी निर्देश जो समीक्षा को केवल तीन अवसरों तक सीमित रखते हैं, वैध और लागू करने योग्य हैं, फिर भी उपरोक्त निर्देशों को पढ़ने पर, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये वास्तव में ऐसा करते हैं केवल तीन बार समीक्षा का प्रावधान करें। हमने पक्षों की दलीलों और दलीलों के संदर्भ में मामले की जांच की है और सेना अधिनियम की धारा 191 में नियम बनाने का प्रावधान है। धारा 192 केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 191 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए विनियमों के लिए अधिकृत करती है। यह स्वीकार्य है कि, धारा 191 पदोन्नति या उससे संबंधित प्रक्रिया से संबंधित मामलों से संबंधित नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया है कि पदोन्नति और वास्तविक पदोन्नति के संबंध में नीति स्वयं अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होती है। हालांकि,अधिनियम की धारा 193, यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम/ विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर, अधिनियम में अधिनियमित होने के समान प्रभाव पड़ेगा। पार्टियों के मामले में यह स्वीकार किया गया है कि नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है और ऐसे प्रकाशन पर, अधिनियम में अधिनियमित होने के समान प्रभाव होगा। यह पार्टियों का स्वीकृत मामला है कि नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है और इस प्रकार, हमारा विचार है कि वे पदोन्नति और उसमें उल्लिखित अन्य मामलों को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए व्यापक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि विनियम/ नियम उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित अधिकारी की समीक्षा को तीन अवसरों तक सीमित नहीं करते हैं। हालाँकि, हमारे सामने अपीलकर्ताओं ने 9 मार्च, 1965 के निर्देशों पर भरोसा किया था, जो सभी सेना कमांडों को प्रसारित किए गए थे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अगले उच्च रैंक यानी ग्रेड और जहां एक अधिकारी को उसकी अगली दो समीक्षाओं में किए गए मूल्यांकन पर 'आर' ग्रेड दिया जाता है वहाँ 'यू' दिया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा यह आग्रह किया गया है कि उपरोक्त निर्देश सेना मुख्यालय से विभिन्न सेना कमांडों के लिए केवल एक संचार है, लेकिन वास्तव में, अवसरों को तीन तक सीमित करने का कोई निर्णय विशेष रूप से सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और यह अकेले सरकार का काम है। जो ऐसे निर्देश जारी करने में सक्षम था। अपीलकर्ताओं ने मामले से संबंधित पूरी फाइल हमारे समक्ष पेश की है और हमने इसकी जांच से पाया कि विचार को तीन

अवसरों तक सीमित रखने का निर्णय रक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर मामले पर विचार करने के बाद भारत सरकार के स्तर पर लिया गया था।

(10) उपरोक्त अभिनिर्धारित करने के अनुसार, निर्धारण के लिए नया प्रश्न यह उठता है कि उपरोक्त निर्देशों के साथ कितना मूल्य जोड़ा जाना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विनियमन 69 समीक्षा को केवल तीन अवसरों तक सीमित नहीं रखता है। इस संबंध में हमारा ध्यान वीरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1) और कैप्टन रछपाल सिंह बनाम भारत संघ (2) की ओर आकर्षित किया गया है। वीरेंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) में एक विशिष्ट तर्क उठाया गया था कि सेना द्वारा जारी किए गए निर्देशों की कोई वैधानिक स्थिति नहीं थी। इस तर्क को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था और इसमें यह माना गया था कि सेना के निर्देशों में वैधानिक बल है। उपरोक्त निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन रछपाल सिंह के मामले (सुप्रा) में दोहराया था। इसलिए, हमारा विचार है कि जिन निर्देशों का उल्लेख ऊपर किया गया है, जो समीक्षा को तीन अवसरों तक सीमित रखते हैं, वे वैधानिक और इसलिए बाध्यकारी बल रखते हैं और इसके अलावा उपर्युक्त निर्देश विनियमन 69 के विरोधाभासी नहीं हैं, लेकिन इसको पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। हमारा यह भी विचार है कि सेना के उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए तीन बातें न केवल पर्याप्त हैं बल्कि न्यायसंगत भी हैं। इसे एक बार फिर उजागर किया जा सकता है कि धारा 192 के तहत बनाए गए विनियमों को धारा 193 द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है, और, इस प्रकार, उन विनियमों को किसी भी तरह से जारी किए गए निर्देशों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। सेना। इसलिए हम मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्णय कि समीक्षा को केवल तीन अवसरों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, गलत है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारा यह भी विचार है कि रिकॉर्ड का मूल्यांकन संशोधित मानदंडों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जाना था, क्योंकि इसे समान रूप से लागू किया जा रहा था।

(11) हमने प्रतिवादी के वेतन निर्धारण के प्रश्न पर भी विचार किया है और पाया है कि इस स्कोर पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया तर्क भी गलत प्रतीत होता है। हमने मामले का रिकॉर्ड देखा है और इस मामले में पक्षों के विद्वान वकीलों को भी विस्तार से सुना है। हमने पाया की 1 जनवरी, 1986 को प्रतिवादी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का वेतन रु. 3,900 प्लस रु. 800 रैंक वेतन के रूप में मिलता था। हमारे समक्ष यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि 1 जनवरी 1986 को कर्नल का वेतन रु. 4,500 पर लगाना था। यह स्वीकार्य है कि, प्रतिवादी 1 जनवरी, 1986 को लेफ्टिनेंट कर्नल

(1) A.I.R 1981 S.C. 947.

(2) A.I.R. 1987 S.C. 212.

था और उस तारीख को चयन ग्रेड रखने से वह कर्नल के रैंक में अपना वेतन निर्धारित करने का हकदार नहीं होगा। इसलिए, हम इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को भी रद्द कर देते हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रतिवादी 1 जनवरी, 1986 को अपना वेतन रु. 3,900 प्लस रैंक वेतन निर्धारित करवाने का हकदार होगा।

(12) हमने ऊपर उल्लिखित संबंधित रिट याचिकाओं में पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर भी विचार किया है। पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए समीक्षा के अवसरों की संख्या के संबंध में प्रस्तुतियाँ पहले ही हमारे द्वारा निपटा दी गई हैं। गुण- दोष के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के मामलों को उनके सेवा रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए और उनके उत्कृष्ट करियर की पूरी तरह से सराहना न करते हुए पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। हमने इस मामले पर पक्षों के विद्वान वकीलों को भी सुना है और रिकॉर्ड की भी सूक्ष्मता से जांच की है। हमने पाया कि याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विभिन्न चयन समितियों द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था जिसमें बहुत उच्च रैंक के अधिकारी शामिल थे। हम यह भी पाते हैं कि प्रत्येक मामले में सही मूल्यांकन किया गया प्रतीत होता है। निस्संदेह, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से परे के अधिकारी को चयन के माध्यम से अपनी पदोन्नति की तलाश करनी चाहिए और कोई समय- पैमाने पर पदोन्नति नहीं है। चयन एक चयन बोर्ड द्वारा किया जाना है और यह न्यायालय बोर्ड की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से तब तक झिझकेगा जब तक कि कोई स्पष्ट कमी सामने न आ जाए। हमें पदोन्नति के लिए विभिन्न चयन बोर्डों की कार्यवाही में ऐसी कोई खामी नहीं मिली जिसमें याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार किया गया था।

(13) ऊपर दर्ज कारणों से, एल.पी.ए. 1990 की संख्या 900 को अनुमति दी जाती है, जबकि 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 10133, 1989 की 14714 और 16795 और 1991 की 2044 को खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

आर.एन.आर.

माननीय न्यायमूर्ति ए.एल. बहरी और एच.एस. बेदी, जे.जे के समक्ष

एचसी मुंशी राम - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

Civil Writ Petition No. 7237 of 1991.

6 अगस्त, 1991.

पंजाब पुलिस नियम, 1934 आरएल। 16.2- निलंबन अवधि के दौरान अनुपस्थिति को कर्तव्य से अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता- ऐसी अनुपस्थिति सेवा से बर्खास्तगी का आधार नहीं बन सकती।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा